जहानाबाद जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

एतत् द्वारा जहानाबाद जिला के सभी अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में सभी प्रकार की शस्त्र अनुज्ञप्तियों का एक डाटाबेस, एन0आई0सी0 द्वारा विकसित प्रपत्र में तैयार किया जाना है और सभी अनुज्ञप्तिधारियों को दिनांक–01.10.2015 पूर्व एक विशिष्ट संख्या आवंटित किया जाना है। उक्त तिथि के बाद बिना विशिष्ट संख्या के कोई भी अनुज्ञप्ति वैध नहीं होगी। अनुज्ञप्तिधारियों के डाटाबेस को तैयार करने हेतु चार तरह के विहित प्रपत्र तैयार किये गये हैं, जिसे सभी थानों/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय/ अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय/पुलिस अधीक्षक एवं जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रपत्र जिला के **website: www. jehanabad.bih.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

Form-1 जहानाबाद जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

Form-2 जहानाबाद जिला से बाहर के अनुज्ञप्तिधारी जो जहानाबाद ओ0डी0 पंजी में पंजीकृत हैं।

Form-3 **Sporting Weapon** के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

Form-4 संस्थान के नाम से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुाप्तिधारियों के लिए।

सभी सूचनाएँ विहित प्रपत्र में पूर्ण एवं शुद्ध रूप से दि0–31.01.2014 तक निश्चित रूप से भरकर जिला शस्त्र शाखा, जहानाबाद में जमा कर देना है एवं पावती रसीद प्राप्त कर लेना है। विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ फैक्स/ई–मेल/डाक से स्वीकार्य नहीं होगी बल्कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से व्यक्तिगत रूप में ही प्राप्त की जाएंगी। विहित प्रपत्र के साथ शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं अनुज्ञप्तिधारी का एक अद्यतन फोटो भी संलग्न करना होगा। निर्धारित तिथि तक प्रपत्र नहीं भरने वाले अनुज्ञप्तिधारियों का डाटाबेस तैयार नहीं हो सकेगा और उनकी अनुज्ञप्ति दि0–01.10.2015 से अवैध हो जाएगी जिसके लिए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगें।

जिला दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।